



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

**कार्यालय आदेश**  
दिनांक : 25.03.2019

सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर में संयुक्त आयुक्त(in-situ)/उप/सहायक आयुक्तों के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित होने की स्थिति में, सुपरिभाषित व्यवस्था बनाने के लिए, नामांकन श्रृंखला (लिक ऑफिसर) व्यवस्था निम्नानुसार तय की जाती है:-

क्र. स.	(संयुक्त आयुक्त(in-situ)उप/ सहायक आयुक्त)	प्रथम नामांकित लिक अधिकारी (संयुक्त आयुक्त(in-situ)उप/ सहायक आयुक्त)	द्वितीय नामांकित लिक अधिकारी (संयुक्त आयुक्त(in-situ) उप/ सहायक आयुक्त)
1.	P&V/ADMN/RTI/AUDIT/COMPUTER & IT, CGST & CX(H), JAIPUR	TRC/REVIEW/LEGAL, CGST & CX(H), JAIPUR	TRG./RAJBHASHA/SEVOTTAM/INSP./ADJ./GST CELL/TECH./STATS, CGST & CX(H), JAIPUR
2.	AE, CGST & CX(H), JAIPUR	P&V/ADMN/RTI/AUDIT/COMPUTER & IT, CGST & CX(H), JAIPUR	TRC/REVIEW/LEGAL, CGST & CX(H), JAIPUR
3.	TRC/REVIEW/LEGAL, CGST & CX(H), JAIPUR	AE, CGST & CX(H), JAIPUR	P&V/ADMN/RTI/AUDIT/COMPUTER & IT, CGST & CX(H), JAIPUR
4.	TRG./RAJBHASHA/SEVOTTAM/INSP./ADJ./GST CELL/TECH./STATS, CGST & CX(H), JAIPUR	P&V/ADMN/RTI/AUDIT/COMPUTER & IT, CGST & CX(H), JAIPUR	AE, CGST & CX(H), JAIPUR
5.	CGST & CX, DIV-A, JAIPUR	CGST & CX, DIV-B, JAIPUR	CGST & CX, DIV-C, JAIPUR
6.	CGST & CX, DIV-B, JAIPUR	CGST & CX, DIV-A, JAIPUR	CGST & CX, DIV-C, JAIPUR
7.	CGST & CX, DIV-C, JAIPUR	CGST & CX, DIV-B, JAIPUR	CGST & CX, DIV-A, JAIPUR
8.	CGST & CX, DIV-D, JAIPUR	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR	CGST & CX, DIV-F, JAIPUR
9.	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR	CGST & CX, DIV-D, JAIPUR	CGST & CX, DIV-F, JAIPUR
10.	CGST & CX, DIV-F, JAIPUR	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR	CGST & CX, DIV-G, JAIPUR
11.	CGST & CX, DIV-G, JAIPUR	CGST & CX, DIV-F, JAIPUR	CGST & CX, DIV-H, JAIPUR
12.	CGST & CX, DIV-H, JAIPUR	CGST & CX, DIV-G, JAIPUR	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR
13.	CGST & CX, DIV-I, JAIPUR	CGST & CX, DIV-H, JAIPUR	CGST & CX, DIV-G, JAIPUR
14.	CGST & CX, DIV-J, JAIPUR	CGST & CX, DIV-K, JAIPUR	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR
15.	CGST & CX, DIV-K, JAIPUR	CGST & CX, DIV-J, JAIPUR	CGST & CX, DIV-G, JAIPUR

नोट :-

- उक्त व्यवस्था में लिक ऑफिसर्स के उपस्थित होने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यभार के लिए अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।
- यदि उक्त व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार की समस्या हो या उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई सुझाव हों, तो इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
- उक्त आधार पर संभागीय उप/सहायक आयुक्तों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधीक्षक स्तर पर लिक ऑफिसर व्यवस्था लागू की जाएगी।

4. यह व्यवस्था प्रत्येक अधिकारी को प्रदत्त आरटीआई एवं अन्य कार्यभार से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के लिए भी समान रूप से होगी।

यह आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर की संस्वीकृति से जारी किया जा रहे हैं।

— ६० —

(बी. एल. मीना)  
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)


फा.सं.: II-39(5)स्था./जेपीआर-I/2012/

3626

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
2. अपर आयुक्त (सीसीओ), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क जयपुर जोन, जयपुर
3. अपर आयुक्त(क.अ./तक)/संयुक्त आयुक्त(का.एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं उ.शु. जयपुर।
4. उप/सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
5. उप/सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, संभाग -ए से आई, जयपुर एवं जे से के, अजमेर।
6. सहायक निदेशक (राजभाषा), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर
7. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
8. प्रशा. अधिकारी (मुख्यालय/डीडीओ), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
9. समस्त शाखा प्रभारी सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर। **प्रतिपाठ**
10. गार्ड फाईल।
11. विभागीय वेबसाईट [www.centralexcisejaipur.nic.in](http://www.centralexcisejaipur.nic.in) पर अपलोड हेतु

  
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.) 19